मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 10, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11: 01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोद्गार व्यक्त किये गये :-

(1) श्री इन्दर सिंह गोठी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(2) श्री राधेश्याम शुक्ल, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(3) डॉ. सूर्यप्रकाश सक्सेना, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(4) श्रीमती रजनी उपासने, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(5) श्री चन्द्र कुमार भनोत, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(6) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(7) श्री शंकरलाल तिवारी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(8) श्रीमती लोरेन बी. लोबो, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(9) श्री ला. गणेशन, नागालैण्ड के राज्यपाल एवं भूतपूर्व राज्यसभा सदस्य,
(10) श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(11) श्री सुभाष आहूजा, भूतपूर्व लोकसभा सदस्य,
(12) श्री धर्मेन्द्र, भूतपूर्व लोकसभा सदस्य एवं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता,
(13) दिनांक 10 नवम्बर, 2025 को दिल्ली के लालकिले के पास हुए कार विस्फोट में मृत एवं हताहत व्यक्ति,
(14) दिनांक 19 नवम्बर, 2025 को छत्तीसगढ़ के राजनादगांव जिले के जंगल में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर श्री आशीष शर्मा.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा कुछ समय मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

निधन उल्लेख के दौरान श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, द्वारा कार्यसूची में उल्लिखित दिवंगतों के अतिरिक्त अन्य घटनाओं में मृत व्यक्तियों के निधन पर सरकार द्वारा निधन उल्लेख एवं संवेदना व्यक्त नहीं किये जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - सामान्य तौर पर नियम और प्रक्रिया अनुसार हम समय-समय पर किसी भी विषय को अनुमति लेकर के उठा सकते हैं. शोक प्रस्ताव का एक समय ऐसा है, इसकी एक ऐसी परम्परा बनी हुई है कि इसमें हम सीमा से बाहर न जाये. आप सब सदन के पुराने सदस्य हैं, सदन की मर्यादा को समझते है, शोक प्रस्ताव में लेकिन, किंतु और परंतु नहीं होता. कुल मिलाकर के सीधा शोक का विषय है, दुख व्यक्त करना, श्रद्धासुमन अर्पित करना, यहीं तक हमें सीमित रहना चाहिये. कोई विशेष घटना

यदि छूटी है तो उसका उल्लेख कर सकते हैं लेकिन उसमें किंतु, परंतु में जायेंगे तो निश्चित रूप से आपत्तियां होंगी. मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आगे भी इसका ध्यान रखें.

4. निधन का उल्लेख (कमश:)

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी शोकोद्गार व्यक्त किये गये.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11:35 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर पूर्वाह्न 11:45 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

5. बधाई एवं शुभकामनाएं

आसंदी द्वारा श्री नारायण सिंह पटेल, सदस्य को जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

6. विशेष उल्लेख

गीता जयंती की शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा उल्लेख किया गया कि राज्य और देश में गीता जयंती के अनेक कार्यक्रम संपन्न हो रहे होंगे. इस अवसर पर आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

7. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 3 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 2,3 एवं 5) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 141 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 161 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

8. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1)	श्री अभय मिश्रा, सदस्य ने सेमरिया स्थिति पूर्वाफाल में पुलिस चौकी की स्थापना की जाना,
(2)	श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य ने दतिया बरगॉय, सिनावल से ग्राम महेवा तक सड़क निर्माण कराया जाना,
(3)	श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 109, 110 के आदेशों का पालन न किया जाना,
(4)	इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने ग्राम सिलेरा में विस्थापित परिवारों के लिये पुनर्वास कॉलोनी में पेयजल में दुर्गंध व पक्की सड़क न होना,
(5)	श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने सरदारपुर विधानसभा के कई ग्रामों में स्कूल भवनों की जर्जर हालत होना,
(6)	श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य ने सिवनी स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में इंजीनियर पाठ्यक्रम प्रांरभ किया जाना,
(7)	श्रीमती रीती पाठक, सदस्य ने संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी में बालिका एन.सी.सी.यूनिट प्रांरभ की जाना,
(8)	श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य ने प्रदेश में फिजियोथैरिपी के उत्थान हेतु एक्ट में प्रावधान किया जाना,
(9)	श्री विपीन जैन, सदस्य ने मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में किसानों को शेष राहत राशि का भुगतान किया जाना एवं
(10)	डॉ.हिरालाल अलावा, सदस्य ने सीहोर जिले में आदिवासियों को वन विभाग द्वारा मजदूरी का भुगतान न किया जाना.
	संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

9. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

श्री भंवर सिंह शेखावत सदस्य द्वारा आसंदी से अनुरोध किया गया कि यह जो सत्र बुलाया गया है और सत्र छोटा करने का जो काम चल रहा है. इससे समस्याओं का निराकरण कैसे होगा. इस पर श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया कि सत्र अवधि बढाने हेतु उन्होंने भी पत्र लिखा है.

10. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण सत्र की अवधि छोटी होने के विरोध में गर्भगृह में आए और नारेबाजी की गई.

11. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) पटल पर रखा गया.

12. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री** द्वारा

(क) द रियल स्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डेव्हलपमेंट) एक्ट, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) के तहत बनाये गये भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नियम, 2017 की कंडिका 38 की अपेक्षानुसार भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25, एवं

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-21 (01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021) पटल पर रखे गए.

(2) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री** द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक 1642/मप्रविनिआ/2025, दिनांक 22.08.2025,

(ख) क्रमांक 1643/मप्रविनिआ/2025, दिनांक 22.08.2025, एवं

(ग) क्रमांक 1644/मप्रविनिआ/2025, दिनांक 22.08.2025 पटल पर रखी गईं.

(3) **श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 (31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए) पटल पर रखा गया.

(4) **श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री, पिछ्ड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण** (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) द्वारा (क) मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1993 (क्रमांक 43 सन् 2006) की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2022-23, एवं

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024 (01 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024) पटल पर रखे गए.

13. जुलाई-अगस्त, 2025 सत्र की स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-5 पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने जुलाई-अगस्त, 2025 सत्र की स्थगित बैठक दिनांक 7 एवं 8 अगस्त 2025 की प्रश्नोत्तर सूचियां तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-5 पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

14. नियम 267-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2025 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2025 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

15. राज्यपाल/राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित 11 विधेयकों में से 2 विधेयकों को माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं 9 विधेयकों को माननीय राज्पाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे.

16. अध्यक्षीय व्यवस्था

अतिवृष्टि संबंधी ध्यानाकर्षणों को नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय संबंधी चर्चा में समाहित किया जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी कि - आज अतिवृष्टि पर चर्चा लगी हुई है. इस संबंध में कई सदस्यों के ध्यानाकर्षण भी आए हैं. मेरा पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों से अनुरोध है कि ध्यानाकर्षणों को मैने इस चर्चा में तब्दील किया है तो जिन सदस्यों ने ध्यानाकर्षण लगाये है. वे प्राथमिकता के आधार पर दोनों पक्षों के लोगों को बोलने का अवसर प्रदान करें और उनके नाम जरूर दें.

17. ध्यानाकर्षण

(1) **श्री अजय अर्जुन सिंह, (डॉ. हिरालाल अलावा), सदस्य** ने प्रदेश के सीहोर जिले में आदिवासी मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान न किये जाने की ओर राज्यमंत्री, वन का ध्यान आकर्षित किया. श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री, वन ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) **डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य,** नर्मदापुरम व इटारसी में बढ़ते अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों को परेशानी से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, इंजीनियर प्रदीप लारिया एवं डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया. श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

18. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 181-भीकनगांव (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी को विधान सभा के दिसम्बर, 2025 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

19. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में पदक्रम 10 पर जिन याचिकाओं का उल्लेख किया गया है उनको प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा तद्नुसार निम्नांकित याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में पदक्रम 10 के सरल क्रमांक 1 से 16 तक उल्लेखित सभी याचिकाएं सदन में प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)**

(2) श्री विजय रेवनाथ चौरे (जिला-छिन्दवाड़ा)
(3) श्री दिनेश राय मुनमुन (जिला-सिवनी)
(4) श्री पंकज उपाध्याय (जिला-मुरैना)
(5) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)
(6) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(7) श्री सुनील उईके (जिला-छिंदवाडा)
(8) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(9) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-नर्मदापुरम्)
(10) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(11) श्री केशव देसाई (जिला-हरदा)
(12) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(13) श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-शिवपुरी)
(14) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)
(15) श्री राजेन्द्र भारती (जिला-दतिया)
(16) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)

20. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री ने मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

21. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उमंग सिंघार तथा श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्यगण ने चर्चा उठाई. चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया –

1. श्री भंवरसिंह शेखावत

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए

2. श्री रामेश्वर शर्मा
3. श्री दिनेश गुर्जर

(अपराह्न 1.07 बजे से 3.05 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

4. श्री यादवेन्द्र सिंह
5. श्रीमती रीती पाठक
6. श्री बाबू जन्डेल
7. श्री गौरव सिंह पारधी
8. श्री जयवर्द्धन सिंह
9. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
10. श्री दिनेश जैन (बोस)

22. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

23. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार दिनांक 1 दिसम्बर 2025 को संपन्न हुई जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधयकों एवं वित्तीय कार्यों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	विषय	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025)	30 मिनट
2.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025)	1 घण्टे
3.	वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	4 घण्टे
4.	वर्ष 2011-12 के आधिक्य व्यय की अनुदान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	4 घण्टे

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन कार्यों पर चर्चा के लिये समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए

24. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमश:)

11. श्री अरूण भीमावद
12. श्री राजन मण्डलोई
13. श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी
14. श्री मधु भाऊ भगत
15. श्री मोहन शर्मा
16. श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
17. श्री अनिरूद्ध माधव मारू
18. श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर
19. श्री फूलसिंह बरैया
20. श्री भैरो सिंह बापू

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए

21. श्री विजय रेवनाथ चौरे

25. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

26. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमश:)

22. श्री महेश परमार
23. श्री सुरेश राजे
24. श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे

25. श्री प्रीतम लोधी
26. श्री पंकज उपाध्याय
27. श्री आशीष गोविंद शर्मा
28. श्री विवेक विक्की पटेल
29. श्री ऋषि अग्रवाल

27. अध्यक्षीय घोषणा

सभापति महोदय द्वारा घोषणा की गई कि सदन की लॉबी में चाय की व्यवस्था की गई है. माननीय सदस्यों से अपनी सुविधानुसार ग्रहण करने का कष्ट करें.

28. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमश:)

30. श्री अभय मिश्रा
31. श्री रमेश प्रसाद खटीक
32. श्री ओमकार सिंह मरकाम

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

33. श्री उमंग सिंघार

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री एवं श्री एदल सिंह कंषाना, कृषि मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर दिया गया तदुपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों को चर्चा हेतु हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

29. गर्भगृह में प्रवेश

श्री उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश किया गया.

अपराह्न 07.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 11, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक : 01 दिसम्बर, 2025